कृषि मंत्री ने फसल बीमा योजना के घोटाले का खुलासा करने का दावा किया

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य में करीब 15 हजार ऐसे फर्जी किसानों के नाम पर बीमा प्रीमियम काटा गया, जिनके पास न तो जमीन है और न ही वैध जमाबंदी

चूरू, (निसं)। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को प्रदेश में फसल बीमा योजना के तहत बड़े घोटाले का खुलासा करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 15 हजार ऐसे फर्जी किसानों के नाम पर बीमा प्रीमियम काटा गया, जिनके पास न तो जमीन है और न ही वैध जमाबंदी। इन मामलों में कुल 1150 करोड़ रुपए का क्लेम पारित किया जा चुका है।

मंत्री ने बताया कि यह बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों के नाम पर किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना का लाभ वास्तविक किसानों के बजाय फर्जी नामों के जरिए उठाया गया है। कृषि मंत्री शुक्रवार को चूरू जिले के सालासर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पहुंचे थे। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केवल सालासर शाखा में ही 71 ऐसे फर्जी किसानों के मामले सामने आए हैं, जिनका बीमा प्रीमियम काटा गया और क्लेम की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी। इन 71 मामलों में प्रत्येक को 12-12 लाख रुपए, यानी कुल करीब

- **किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इन मामलों में कुल 1150 करोड़ रुपए का क्लेम पारित किया जा चुका है**

9 करोड़ रुपए का भुगतान प्रस्तावित था। मीणा ने दावा किया कि सूची में कई व्यक्तियों और उनके पिता के नाम एक जैसे दर्ज हैं। संबंधित व्यक्तियों के पास न तो कोई जमाबंदी है और न ही खसरा नंबर दर्ज है। उन्होंने जमाबंदी की प्रतियां दिखाते हुए कहा कि ये किसान वास्तविक रूप से अस्तित्व में ही नहीं हैं। इनका बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया (एआईसी) द्वारा किया गया है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने शाखा प्रबंधक से फसल बीमा से संबंधित पूरी सूची और दस्तावेज मांगे हैं।

उनका कहना था कि जब तक 71 व्यक्तियों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते, वे शाखा से नहीं जाएंगे। इस दौरान शाखा प्रबंधक उमेश कुमार सारस्वत ने मंत्री से कहा कि संबंधित दस्तावेज तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और एक-दो दिन का समय दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि दस्तावेज ई-मेल या हार्ड कॉपी के माध्यम से मंत्री कार्यालय को भेज दिए जाएंगे। इस पर मंत्री ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं हैं तो उन्हें भेजा कैसे जाएगा। मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की बात भी मंत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद स्पष्ट होगा कि इस कथित घोटाले में कौन-कौन लोग शामिल हैं। वहीं शाखा प्रबंधक ने मीडिया के सामने इस विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

चूरू के वरिष्ठ अधिवक्ता व पत्रकार बनवारीलाल दीक्षित पंचतत्व में विलीन

बनवारी लाल दीक्षित ने राष्ट्रदूत के संस्थापक हजारी बाबू के सानिध्य में पत्रकारिता की शुरुआत की थी

चूरू, (निसं)। चूरू जिला मुख्यालय पर गुरुवार को चूरू के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं चूरू जिला पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष रहे बनवारी लाल दीक्षित पूर्व लोक अभियोजक का निधन होने पर प्रदेश में वरिष्ठ अधिवक्ताओं व मीडियाकर्मियों में शोक की लहर छा गई। गुरुवार को उनका दाह संस्कार चूरू के बागला मुक्तिधाम में किया गया, जहां पर शहर के गणमान्य नागरिकों ने अंतिम यात्रा में भाग लिया।

बनवारी लाल दीक्षित के पुत्र नरेन्द्र दीक्षित पत्रकार व डॉ. योगेश दीक्षित ने अंतिम मुखाग्नी दी। बनवारी लाल दीक्षित चूरू जिला अभिभाषक संघ के सबसे वरिष्ठ

- **बनवारीलाल दीक्षित ने अपने जीवनकाल में 62 वर्ष सक्रिय वकालत की, जिसमें दो बार चूरू जिला लोक अभियोजक का कार्य संभाला था**

अधिवक्ता थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में 62 वर्ष सक्रिय वकालत की जिसमें दो बार चूरू जिला लोक अभियोजक का कार्य संभाला व जिले की विभिन्न नगरपालिकाओं के विधि सलाहकार के पद पर भी कार्य किया।

बनवारी लाल दीक्षित प्रदेश के सबसे पुरानों में एक दैनिक राष्ट्रदूत अखबार से करीब 50 वर्षों से अधिक समय से जुड़े रहे। बनवारी लाल दीक्षित ने राष्ट्रदूत के संस्थापक हजारी बाबू के सानिध्य से पत्रकारिता की शुरुआत की थी और हजारी बाबू के पदचिन्हों का अनुसरण किया और उन्हीं की भांति सैद्धांतिक व निर्भीक पत्रकारिता से जीवन पर्यंत कार्य किया। उनके निधन पर

बनवारी लाल दीक्षित (फाइल फोटो)।

भाजपा युवा मोर्चा आई टी प्रभारी चूरु जिला प्रशांत शर्मा, राजेन्द्र सिंह शेखावत, मुकुल सारास्वत, रवि शर्मा बजरंग सैनी आदि ने शोक जताया है।

महिला नेता ने एडवोकेट पर दुष्कर्म का आरोप लगाया

उदयपुर, (का.सं)। उदयपुर जिले में एक महिला नेता से रेप का मामला सामने आया है। महिला ने एक एडवोकेट के खिलाफ रेप, ब्लैकमेल करने और आईटी एक्ट में गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने गुरुवार शाम को थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह पिछले एक साल से एडवोकेट के ऑफिस में जूनियर के रूप में काम कर रही थी। आरोपी वकालत के काम और क्लाइंट्स से मिलने के लिए मुझे कार से ले जाता था। करीब चार महीने पहले उसने मुझे ऑफिस बुलाया और कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उसके बाद मेरा सिर चकराने लगा। करीब आधे घंटे बाद मुझे होश आया तो मेरे कपड़े अस्त-व्यस्त थे।पीड़िता ने कहा कि जब मुझे होश आया तो आरोपी हंसने लगा और बोला मैने तुम्हारा वीडियो बना लिया है। अब मैं जैसा कहूं वैसा ही करना नहीं तो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। इसके बाद मैं दो-तीन दिन ऑफिस नहीं गई। उसके बाद मुझे कॉल कर ऑफिस बुलाया फिर भी आरोपी ने मुझे वीडियो शेयर करने की धमकी दी।

पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने उससे कहा कि एआई तकनीक की मदद से उसके आपत्तिजनक वीडियो बना लिए हैं और उन्हें परिचितों में शेयर कर दिया है। साथ ही शारीरिक संबंध बनाने और एक अन्य प्रकरण में समझौता कराने का दबाव भी बनाया। आरोपी ने लगातार फिजिकल रिलेशन का दबाव और मानसिक रूप से परेशान किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया है। मामले की जांच डीएसपी को सौंपी गई है।

अलवर में पचास हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

अलवर, (निसं)। अलवर में लंबे समय से फरार चल रहे 50 हजार रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को बहरोड़ टी-पॉइंट पर नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया। जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने आरोपी पर इनाम घोषित कर रखा था। अलवर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने आरोपी फिरोज खान उर्फ सरकार (25) को गुरुवार को गिरफ्तार किया।

एसपी के अनुसार फिरोज खान निवासी कमलखा का बास मन्नाका थाना वैशाली नगर पर 38 लाख की लूट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। थाना वैशाली नगर में दर्ज प्रकरण में भी वह फरार था। उसके खिलाफ एनईबी, कोतवाली, राजगढ़ और वैशाली नगर थानों में हत्या के प्रयास, लूट, डकैती,

- **झारखंड भेजने के नाम पर 38 लाख का सामान ठगा था, वापस देने के लिए तीन लाख रुपए मांगे**

आर्म्स एक्ट समेत कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसे हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर मानती है। फिरोज उर्फ सरकार का नाम हाल ही दर्ज हुए 38 लाख रुपए के माल की ठगी और फिरौती मामले में भी सामने आया था। झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू निवासी ट्रांसपोर्टर जितेंद्र कुमार सिन्हा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार 13 सितंबर 2025 को रांची से भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिए 83-320 मीट्रिक टन एमएस बिलेट (कीमत 38.12 लाख रुपए) भेजा गया था। आरोप है कि ताहिर उर्फ काला ने स्वयं को ट्रेलर मालिक बताकर वाहन उपलब्ध कराया। 14 सितंबर को माल लोड होकर रवाना हुआ, लेकिन 21 सितंबर तक भिवाड़ी नहीं पहुंचा। बाद में संबंधित लोगों के फोन बंद हो गए। शिकायत के अनुसार अजुरुद्दीन उर्फ लाला और मजीद खान के जरिए संपर्क किया गया, जहां वाट्सऐप कॉल पर तीन लाख रुपए की मांग की गई। कॉल पर एक व्यक्ति ने खुद को फिरोज डॉन मन्नाका (अलवर) बताया और माल दो किस्तों में लौटाने के बदले फिरौती मांगी। मामले में फिरोज डॉन समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

जोधपुर : गजसिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन

मेहरानगढ़ फोर्ट के चौकेलाल गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में गजसिंह ने पुस्तक का विमोचन किया।

जोधपुर, (कासं)। पूर्व महाराजा गजसिंह की असाधारण व उल्लेखनीय जीवन यात्रा पर आधारित पुस्तक "बापजी : महाराजा आफ मारवाड़ जोधपुर : दी किंग हू वुड बी मैन" का शुक्रवार को मेहरानगढ़ फोर्ट के चौकेलाव गार्डन में गज सिंह द्वारा विमोचन किया गया। इस अवसर पर पूर्व महारानी हेमलता राज्ये, लेखक अमननाथ व योगी वैद्य उपस्थित थे।

मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारी कर्नल अजय सिंह शेखावत ने बताया कि यह पुस्तक लेखक अमननाथ व योगी वैद्य द्वारा लिखी गई है। इसमें गज सिंह व जोधपुर राज परिवार के दुर्लभ और नये चित्रों का समावेश किया गया है। पुस्तक में गज सिंह व जोधपुर के पूर्व राज परिवार के बारे में जानकारी का उल्लेख किया गया है। विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए गज सिंह ने कहा कि काफी समय से लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि उनके बारे में एक पुस्तक लिखी जाए। लेखक अमननाथ व योगी वैद्य द्वारा यह अच्छा व सराहनीय प्रयास किया गया

- **"बापजी : महाराजा ऑफ मारवाड़ जोधपुर : दी किंग हू वुड बी मैन" पुस्तक का विमोचन किया**

और उनकी जीवन यात्रा के बारे में पुस्तक लिखी गयी भी है। डॉ. महेंद्र सिंह तंवर ने भी इन दोनों का सहयोग किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में अपनी विरासत को संभालना और उसे दुनिया भर में पहचान देना "द किंग हू वुड बी मैन" की सच्ची कहानी है। पुस्तक में उनके व परिवार के बारे में लिखा गया है। अनेक दुर्लभ चित्र इसमें लगाए गए हैं जो पहले कही प्रकाशित नहीं हुए। अनेक नए चित्र भी शामिल किए गए हैं। उनके जन्म से लेकर अब तक की जीवन यात्रा के बारे में इसमें बेहतर तरीके से उल्लेख किया गया है।

समारोह को पुस्तक के लेखक अमननाथ व योगी वैद्य ने संबोधित किया और पुस्तक के प्रकाशन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। गज सिंह ने पुस्तक की पहली प्रति पंजाब के सूफी कलाकार मदन गोपाल सिंह को अपने हस्ताक्षर करके भेंट की। उम्मेद भवन पैलेस हाउसहोल्ड के जोधपुर जवारात के प्रबंधक मनोज मालानी ने बताया कि समारोह समाप्ति के बाद में इस पुस्तक के लिए काउंटर से पुस्तक क्रय करने की लोगों में होड़ मची व पुस्तक क्रय करने के बाद में उनके द्वारा गज सिंह के हस्ताक्षर करवाए गए। बाड़मेर की कीर्तिका चौहान ने बताया कि गज सिंह के प्रति सम्मान के कारण वह बाड़मेर से यह पुस्तक क्रय करने और इस विमोचन समारोह में शामिल होने आई है। इस अवसर पर गज सिंह के इंग्लैंड में कॉलेज के मित्र डेविड कैविल, प्रिंस जॉर्ज गिलिट्सिन, कैपवेल सहित चौपासनी शिक्षा समिति के अध्यक्ष रावल किशन सिंह, गायत्री कुमारी, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र के सहायक निदेशक डॉ. महेंद्र सिंह तंवर, सीनियर सिक्योरिटी मैनेजर किशनवीर सिंह राठौड़ सहित अनेक लोग उपस्थित थे। मेहरानगढ़ म्यूजियम की क्यूरेटर सुनैयना राठौड़ ने कार्यक्रम का संचालन किया।

अलवर : दो महीने बाद देशी ठाठ होटल की सील खोली

अलवर, (निसं)। अलवर के सिलीसेढ़ बांध के पेटे पर बने देशी ठाठ होटल की दो महीने बाद सील खोल दी गई। उपभोक्ता कोर्ट जयुपर के आदेश पर सील खोली गई है। अभी मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट अलवर व संभागीय आयुक्त कोर्ट में विचाराधीन है। होटल के अवैध निर्माण के कारण अलवर यूआईटी प्रशासन ने सील किया था। उसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। वहां से एडीजे कोर्ट अलवर को जांच करने के आदेश हुए। अभी कोर्ट के आदेश का इंतजार है। उससे पहले ही जयपुर कंज्यूमर कोर्ट ने राहत देते हुए सील हटाई है। अब 16 फरवरी को कंज्यूमर के अपर कोर्ट में सुनवाई है।

देशी ठाठ होटल के मालिक नमन खंडेलवाल ने बताया कि जयपुर के कंज्यूमर कोर्ट ने राहत दी है। होटल की सील खोल दी है। पहले से चल रहे मामले में कोर्ट ने माना कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक होटल मालिक को राहत दी है।

- **जयपुर कंज्यूमर कोर्ट ने अलवर के होटल से सील हटाने के आदेश दिए**
- **'अब मामले में 16 फरवरी को कंप्यूजर के अपर कोर्ट में सुनवाई होगी'**
- **अलवर के सिलीसेढ़ बांध के पेटे पर बनी हुई है देशी ठाठ होटल**

अलवर यूआईआई सचिव स्नेहल का कहना है कि यह गलत हुआ है। मामला पहले ही कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरा जयपुर कंप्यूटर कोर्ट का क्षेत्र ही नहीं है। वहां से राहत नहीं दी जा सकती है। अब मामले में 16 फरवरी को कंप्यूजर के अपर कोर्ट में सुनवाई होगी।

महिला पर हमला करने वाला गिरफ्तार : उदयपुर के कुराबड कस्बे में सिलाई दुकान पर महिला पर चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार11 फरवरी को आरीफ मोहम्मद पुत्र फजल मोहम्मद निवासी आजाद मोहल्ला कुराबड़ ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि शाम को मैं नीम का चौक कुराबड़ स्थित सुन्दरलाल नाई की दुकान पर बैठा था। इस दौरान भतीजी यास्मीन पर चाकू से हमला करने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर देखा तो खून पड़ा था, भतीजी को चिकित्सालय उपचार के लिए ले गए। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर कुराबड़ थानाधिकारी तेजु सिंह के नेतृत्व में गठित दल ने मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर प्रेमलाल उर्फ शंकरलाल पुत्र लिम्बा पटेल निवासी भूतिया कुराबड़ को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है।

अजमेर जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली

अजमेर, (निसं)। जिला न्यायालय के नए भवन को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जैसे ही धमकी की सूचना मिली, तुरंत उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड के साथ जिला न्यायालय के नए भवन में पहुंची। पुलिस टीम द्वारा न्यायालय के नए भवन के प्रत्येक हिस्से, कोर्ट रूम, कार्यालयों, गलियारों और आसपास के क्षेत्रों की सघन तलाशी ली गई। डॉग स्क्वॉड की मदद से संदिग्ध वस्तुओं की जांच की गई, हालांकि प्रारंभिक तलाशी में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई।

पुलिस प्रशासन द्वारा धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कॉल, ई-मेल या अन्य माध्यमों से मिली धमकी की तकनीकी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को चिन्हित कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी अजमेर जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं।

हादसे में किसान की मौत : उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में किसान की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरूवार रात में प्रतापनगर थाना क्षेत्र पावर हाउस पुलिया पर बाइक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल बाइक सवार धेरियागढ़ रेलमगरा राजसमन्द निवासी नाथूसिंह (65) पुत्र जोरावरसिंह गंभीर घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाथूसिंह अपने पुत्र मनोहरसिंह के साथ बाइक पर शहर से गांव लौट रहा था। जहां बीच रास्ते में हादसा हो गया। सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना एएसआई भगवतसिंह ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।

माण्डलगढ़ : मेज नदी पर निर्माणाधीन पुल में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप

माण्डलगढ़, (निसं)। माण्डलगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में झंझोला-मंगठला सड़क की मुख्य मेज नदी पर नए पुल निर्माण का कार्य गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि करीब तीन करोड़ की लागत से पुल निर्माण में संवेदक द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जबकि मौके पर पीडब्ल्यूडी का कोई भी तकनीकी अधिकारी नियमित रूप से मौजूद नहीं रहता हैं। ऐसे में भविष्य में किसी संभावित हादसे की जिम्मेदारी किसकी होगी। संवेदक ने मौक़े पर पुल निर्माण सम्बन्धी जानकारी का प्रदर्शन बोर्ड भी नहीं लगा रखा है और नदी में बायपास निर्माण के दौरान कई हरे पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए हैं।

झंझोला पंचायत प्रशासक दुर्गा लाल काबरा ने बताया कि नदी के आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने शिकायत की है कि मेज नदी पर निर्माणाधीन पुल के पिलर और स्लैब में निर्धारित मानकों के अनुरूप सीमेंट और सरिया का उपयोग नहीं हो रहा। निर्माण स्थल पर डाली जा रही लोकल कंक्रीट की गुणवत्ता को लेकर भी संदेह जताया गया है। कुछ लोगों ने दावा किया कि मिक्सिंग प्रक्रिया बिना गुणवत्ता परीक्षण के की जा रही है। यदि शुरुआती चरण में ही मानकों की अनदेखी हो रही है, तो पुल की दीर्घकालिक मजबूती पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

सूत्रों के अनुसार, निर्माण कार्य के

माण्डलगढ़ में झंझोला के पास मेज नदी पर निर्माण के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा में अनदेखी हो रही है।

- **ग्रामीणों ने शिकायत की है कि मेज नदी पर निर्माणाधीन पुल के पिलर और स्लैब में निर्धारित मानकों के अनुरूप सीमेंट और सरिया का उपयोग नहीं हो रहा है**
- **आरोप है कि संवेदक ने मौके पर पुल निर्माण सम्बन्धी जानकारी का प्रदर्शन बोर्ड भी नहीं लगा रखा है और नदी में बायपास निर्माण के दौरान कई पेड़ उखाड़ दिए**

दौरान कोई अधिशासी अभियंता या कनिष्ठ अभियंता मौके पर नियमित रूप से मौजूद नहीं रहता। तकनीकी स्वीकृति और गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी विभाग की होती है, लेकिन यहां कार्य ठेकेदार के भरोसे चलता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नदी पर बनने वाले पुलों में निरंतर तकनीकी निगरानी अनिवार्य होती है, क्योंकि थोड़ी सी चूक भी भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकती है। संवेदक द्वारा निर्माण स्थल पर कार्यरत श्रमिकों से बिना हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और जैकेट के ऊंचाई पर जान जोखिम में डाल कर काम कराया जा रहा है।

मेज नदी के बीच ठोवल डाल कर बनाए गए अस्थायी मार्ग पर भी कोई सुरक्षा इंतजाम नजर नहीं आए। श्रम कानूनों और सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। यदि कोई दुर्घटना होती है तो ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे। पुल निर्माण के दौरान यातायात के लिए नदी में बनाया गया अस्थायी बायपास भी कच्चा और कमजोर बताया जा रहा है। जिससे राहगीरों, हल्के व भारी वाहनों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया तो यह पुल 'विकास' के बजाय 'विनाश' का कारण बन सकता है।

ग्रामीणों और प्रशासक ने निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि पुल निर्माण की शुरूआत से ही गुणवत्ता की जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। यदि निर्माण में अनियमितता साबित होती है तो ठेकेदार के साथ-साथ निगरानी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाए।

ग्रामीणों ने बताया कि नदी में अस्थाई रास्ते के निर्माण के दौरान व गिट्टी बजरी स्टॉक की जगह बनाने के लिए एक दर्जन से अधिक हरे पेड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया गया हैं, वहीं मौक़े पर बनास नदी से बजरी का अवैध खनन कर लाया जा रहा है।

प्रशासक दुर्गालाल काबरा ने बताया कि मौक़े पर पुल निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण व जानकारी का प्रदर्शन बोर्ड लगाया जाए। घटिया निर्माण को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बताया गया तो भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बताया जा रहा है कि उक्त निर्माण सम्बन्धी जिम्मेदारी सहायक अभियंता दीपेश कुमार की थी, लेकिन उन्हें 4 दिन पूर्व एपीओ कर जयपुर मुख्यालय भेज दिया गया।

इस मामले को लेकर माण्डलगढ़ सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता सोहनलाल बैरवा से जानकारी लेने का प्रयास किया तो वे पल्ला झाड़ते नजर आए।

महाराजा सूरजमल के जन्म दिवस पर कुश्ती दंगल का आयोजन

भरतपुर, (निसं)। महाराजा सूरजमल के जन्म दिवस के अवसर पर शुक्रवार को महारानी किशोरी महिला कुश्ती स्टेडियम में आयोजित हुए महाराजा सूरजमल केसरी दंगल में विभिन्न खिताबों के लिए रोमांचकारी फाइनल मुकाबले हुये।

जिला कुश्ती संघ ओलम्पिक एवं

- **झज्जर के निखिल ने महाराजा सूरजमल केसरी का खिताब जीता**

महारानी किशोरी व्यायामशाला समिति के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस दंगल में राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि के विभिन्न अखाड़ों के पहलवानों ने जोर आजमाईश की। दंगल के आयोजन सचिव पूर्व राजस्थान केसरी हरवीर गहनौली के अनुसार इस बार जयवीर अखाड़ा बूपनियां झज्झर ने गत वर्ष के महाराजा सूरजमल केसरी सोनू सोगर को 6 मिनट चली रोमांचकारी कुश्ती में अंकों के आधार पर 7-2 से पराजित कर महाराजा सूरजमल केसरी के खिताब पर कब्जा कर विजेता की गुर्ज, पट्टा सहित इक्कीस हजार रूप्ये की नकद राशि का पुरस्कार जीता। इसी तरह महाराजा सूरजमल कुमार के फाइनल

समारोह में विजेताओं को खिताब से नवाजा गया।

मुकावले में गौरव सोनीपत ने अपने ही जिले के सुचित पूनियां को 5-3 से पराजित किया वहीं महाराजा सूरजमल युवराज के खिताब के फाइनल मुकाबले में अलवर के यशपाल ने मंहगाया के शिव सिंह को पराजित किया। दंगल के संयोजक यदुवीर सिनसिनी द्वारा विभिन्न अखाड़ों से आये उस्तादों व कोचों का साफा बांधकर सम्मान किया। दंगल में सुरेश सेना व वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक मानसिंह द्वारा रैफरीशिप की गई, जबकि शरीफ खान ने मैट चेयरमैन, राजवीर सिंह पहलवान ने जज व पृथ्वी सिनसिनवार ने टाइम कीपर की भूमिका निभाई। करीब पांच घंटे चले इस दंगल का विधिवत् उद्घाटन गोलमोल बगीची के महंत भूमानन्द गिरी ने पूजा-अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर युवा उद्योगपति व समाजसेवी यश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और उन्होंने पहलवानों के हाथ मिलवाकर दंगल का उद्घाटन करवाया, जबकि अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी डीग के अध्यक्ष राजीव हरीसिंह ने की, विशिष्ट अतिथि के रूप में रामनिवास बहनेरा व प्रेमसिंह फौजदार मौजूद रहे। दंगल के आयोजन में हिटलर सिंह, चन्द्रवीर पहलवान, ववुआ पहलवान, बॉक्सिंग कोच सुरेन्द्र सोलंकी ने विशेष सहयोग दिया।